11.11.19 पत्रावली प्रस्तुत की गई। वकील प्रार्थी उपस्थित
वकील अप्रार्थी संख्या 1 एवं 2 अनुपस्थित।
प्रतिवादी संख्या 1 को जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत
करने हेतु अनेक अवसर प्रदान किए जा चुके
है, अक्त के बावजूद अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा
जबाब प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः
न्यायालय अप्रार्थी संख्या 1 का जबाब बन्द

Scanned by CamScanner

करने का आदेश देता है।

उक्त से यह भी प्रतीत होता है कि अप्रार्थी संख्या 1 अपने अधिकारों के प्रति सजग नहीं है। इस बिन्दु के अध्यधीन एवं प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णनीय क्षति के बिन्दुओं को प्रार्थीगण के पक्ष में मानते हुए न्यायालय अस्थायी निषेधाज्ञा का मूल वाद के निर्णय तक कन्फर्म करने का आदेश देता है। विस्तृतनिर्णय से पृथक् से लिखवाया जावेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

11.11.19

Scanned by CamScanner